संख्या–1315 / III(2)/18–22(एम0एल0ए0)/2017

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 20 मार्च, 2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र मसूरी में गढीकैन्ट–वीरपुर–घंघोडा मोटर मार्ग के किमी0 01 में वीरपुर पोस्ट के समीप टोन्स नदी पर 32 मीटर स्पान डबल लेन सेतु के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे0का0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा विषयगत मोटर सेतु के निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन, जिसका स्पान 32 मी0 एवं लागत **₹ 237.58 लाख** है, पर **विभागीय टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 237.58 लाख (रू0 दो करोड़ सैंतीस लाख अठ्ठावन हजार हजार मात्र)** की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) विस्तृत आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये है तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नही किया जायेगा।

(iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय–सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(ix) यदि विषयगत कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2017 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2018 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यो) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22, लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337 सडक निर्माण कार्य–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य **(5054–04–800–03–01 से स्थानान्तरित)** के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–743/XXVII/(2)/2018 दिनांक 20 मार्च, 18 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा हैं।

भवदीय,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या– / III(2)/18–22(एम0एल0ए0)/2017तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायर्वाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्ड़िग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
10. गाई फाईल।

I.T
Up load करें
23.3.18

आज्ञा से,

(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

कार्यालय
प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष
लो.नि.वि. उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ० सं० - 244/20 याता० क/18 दि० - 22.3.18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्या० लो० नि० वि० देहरादून।
(2) अधी० अभि० नवम वृत्त लो० नि० वि० देहरादून।
(3) अधि० अभि० प्रा० ख० लो० नि० वि० देहरादून।
(4) अधि० अभि० आई० टी० सैल लो० नि० वि० विभागाध्यक्ष कार्या० देहरादून।
(5) कनि० अभि० (प्रा०)/बजट वर्ग विभागाध्यक्ष कार्या० लो० नि० वि० देहरादून।

22/03/18
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, PWD (S038)

आवंटन पत्र संख्या - **1315/III(2)/18-22(M.L.A.)/2017**

अनुदान संख्या - **022**

अलोटमेंट आई डी - **S1803220408**

आवंटन पत्र दिनांक -20-Mar-2018

HOD Name - Chief Engineer PWD (4227)

1: **लेखा शीर्षक** 5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परव्यिय

337 - सडक नरि्माण कार्य

03 - राज्य सेक्टर

02 - नया नरि्माण कार्य (5054-04-800-03-02से स्थानान्तरति)

04 - जलिा तथा अन्य सड़के

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत नरि्माण कार्य	8901000	10000	8911000
	8901000	**10000**	**8911000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 10000